2011 का विधेयक संख्यांक 26

[दि प्रिवेन्शन ऑफ ब्राइबरी ऑफ फारेन पब्लिक ऑफिसियल्स एंड ऑफिसियल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल ऑरगेनाइजेशन बिल, 2011 का हिंदी अनुवाद]

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011

विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार का निवारण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, तारीख 31 अक्तूबर, 2003 के संकल्प संख्यांक 58/4 के साथ उपाबद्ध रिश्वत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कंवेंशन अंगीकृत किया गया था और तारीख 9 दिसम्बर, 2003 से 11 दिसम्बर, 2003 तक मेरीडा, मैक्सिको में आयोजित उच्च स्तरीय राजनैतिक हस्ताक्षर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए रखा गया था ;

और पूर्वोक्त संकल्प में सभी राज्यों और सक्षम प्रादेशिक आर्थिक समन्वय संगठनों से इसका तुरंत प्रवर्तन सुनिश्चित करने के अनुक्रम में यथाशक्य शीघ्र रिश्वत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कंवेंशन पर हस्ताक्षर करने और उसका अनुसमर्थन करने के लिए अनुरोध किया गया था ;

और पूर्वोक्त में कंवेंशन के राज्य पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे लोक अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जिनके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ भी है, के पदधारियों की रिश्वत के अपराधिकरण और संबंधित मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों तथा अधिकारिता और भूमिका को इस संबंध में समुचित कार्रवाई से संबंधित सिफारिशें करते समय ध्यान में रखकर विचार करे ;

और पूर्वोक्त कंवेंशन में, भ्रष्टाचार द्वारा समाज की स्थिरता और सुरक्षा को रिश्वत द्वारा हुई समस्याओं की गंभीरता और आशंकाओं, संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी आने, नैतिक मूल्यों तथा न्याय अनवधारित करने, पोषणीय विकास और विधि के शासन को जोखिम में डालने ; तथा रिश्वत के ऐसे मामलों के बारे में, जिनमें प्रचुर मात्रा में आस्तियां अंतर्वलित हैं, जो राज्यों के संसाधनों का सारवान् भाग गठित करती हैं और उससे उन राज्यों की राजनैतिक स्थिरता तथा पोषणीय विकास को आशंका है, चिंता व्यक्त की गई थी ;

और भारत ने तारीख 9 दिसम्बर, 2005 को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कंवेंशन पर हस्ताक्षर किए थे ;

और भारत द्वारा कंवेंशन का अनुसमर्थन किए जाने पर राज्य पक्षकार के रूप में पूर्वोक्त कंवेंशन को कार्यान्वित किया जाना आवश्यक होगा ;

और पूर्वोक्त कंवेंशन के अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे विधायी और अन्य उपाय अंगीकृत करे, जो विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों की रिश्वत को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हों ;

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण अधिनियम, 2011 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और निम्नलिखित को भी लागू होता है--

(क) भारत के नागरिकों को, वे जहां कहीं भी हों ;

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी वायुयान या पोत पर के व्यक्तियों को, वे कहीं भी हों ;

(ग) भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत, किन्तु तत्समय भारत में या भारत के ऊपर किसी वायुयान या पोत पर के व्यक्ति को,

(घ) ऐसे व्यक्ति को, जो--

(i) भारत का नागरिक नहीं है ;

(ii) कोई वायुयान या पोत प्रचालित करता है ;

(iii) जिसका कारबार का मुख्य स्थान या स्थायी निवास भारत में है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा

कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "कंवेंशन" से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 31 अक्तूबर, 2003 के संकल्प संख्यांक 58/4 द्वारा अंगीकृत रिश्वत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कंवेंशन अभिप्रेत है ;

(ख) "संविदाकारी राज्य" से भारत से बाहर कोई देश या स्थान अभिप्रेत है जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे देश की सरकार के साथ किसी कंवेंशन संधि या अन्यथा के माध्यम से ठहराव किया गया है ;

(ग) "विदेशी लोक पदधारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विदेश का विधायी, कार्यपालक, प्रशासनिक या न्यायिक पद धारण करता है, चाहे वह नियुक्त किया गया हो या निर्वाचित हो ; और ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी विदेश के लिए, जिसके अंतर्गत लोक अभिकरण या लोक उद्यम भी है और कोई पदधारी या लोक अन्तरराष्ट्रीय संगठन का अभिकर्ता लोक कृत्य कर रहा है ;

(घ) "अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन का पदधारी" से कोई अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवक या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसे संगठन द्वारा उस संगठन की ओर से कृत्य करने के लिए प्राधिकृत है ;

(ङ) "विदेश" के अंतर्गत किसी सरकार के राष्ट्रीय से स्थानीय सभी स्तर और उपप्रभाग सम्मिलित हैं ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

1988 का 49

(छ) "विशेष न्यायाधीश" से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

(ज) "असम्यक् लाभ" अर्थात् रिश्वत से किसी विदेशी लोक पदधारी या अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन के पदधारी का ऐसा कोई कृत्य अभिप्रेत है, जो,–

(i) स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों से कोई मूल्यवान वस्तु या वित्तीय लाभ अभिप्राप्त करता है ;

(ii) ऐसे लोक पदधारी के रूप में अपनी प्रास्थिति का दुरुपयोग करके स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या वित्तीय लाभ अभिप्राप्त करता है ;

(iii) ऐसे लोक पदधारी के रूप में पद धारण करते समय किसी लोक हित के बिना स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या वित्तीय लाभ अभिप्राप्त करता है ;

(iv) स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका अपने द्वारा या किसी विदेशी लोक पदधारी द्वारा, जिसके वह अधीनस्थ है, की गई या की जा सकने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से संबद्ध रहा होना या हो सकना वह जानता है, अभ्यासतः प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ।

1988 का 49

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो

उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों की रिश्वत का अपराध और उसके लिए शास्तियां

विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों द्वारा परितोषण स्वीकार करने के लिए प्रतिषेध ।

3. जो कोई विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन का पदधारी होते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का कोई परितोषण इस बात को करने के लिए या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने या अभिप्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है कि वह अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रविरत रहे अन्यथा किसी व्यक्ति या अस्तित्व को अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह करे या अनुग्रह दिखाए या दिखाने से प्रविरत रहे या किसी व्यक्ति या अस्तित्व का कोई उपकार या अपकार करे या करने का प्रयत्न करे, वह ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा, किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय होगा व जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों को परितोषण देने के लिए प्रतिषेध ।

4. जो कोई कारबार अभिप्राप्त करने या प्रतिधारण करने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय कारबार संचालन के संबंध में साशय कोई असम्यक् लाभ, विदेशी लोक पदधारियों या अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व के लिए इस क्रम में कि ऐसा पदधारी अपने पदीय कर्तव्यों का प्रयोग करने में कार्य करने से प्रविरत रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देने की प्रस्थापना करता है या प्रस्थापना करने का वचन देता है, वह ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा, किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा व जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

दुष्प्रेरण और प्रयत्न ।

5. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के करने के लिए दुष्प्रेरण करता है या किसी ऐसे अपराध को करने का प्रयत्न करता है और ऐसे प्रयत्न में ऐसे अपराध के करने के लिए और कोई कृत्य करता है, वह ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा, किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा व जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

विदेशों के साथ करार ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार, भारत से बाहर किसी देश की सरकार के साथ निम्नलिखित के लिए कोई करार कर सकेगी,–

(क) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन या उस समय उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन किसी अपराध के निवारण या इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित मामलों के अन्वेषण के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान और अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध करने के लिए, जो करार (जिनके अंतर्गत पारस्परिक सहायता भी है) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि पारस्परिक ठहरावों सहित संविदाकारी राज्य के संबंध में इस अधिनियम का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अर्हताओं के अध्यधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

प्रत्यर्पण के संबंध में उपबंध ।

7. इस अधिनियम के अधीन अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे और भारत द्वारा कंवेंशन देशों के साथ की गई सभी प्रत्यर्पण संधियों में उपबंध किया जाएगा, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भारत पर विस्तारित हैं और उस

पर आबद्धकर हैं ।

कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य को अनुरोध के लिए पत्र ।

1974 का 2

8. (1) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाहियों में किसी अन्वेषण के दौरान किसी विशेष जज को अन्वेषक अधिकारी या ऐसे किसी अन्य अधिकारी, जो अन्वेषक अधिकारी से पंक्ति में उच्चतर है, द्वारा कोई विशेष आवेदन किया जाता है कि कोई साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही के अन्वेषण के संबंध में अपेक्षित है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा, और विशेष न्यायाधीश यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में अन्वेषण के संबंध में अपेक्षित है तो संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को जो निम्नलिखित के संबंध में ऐसे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम है, एक अनुरोधपत्र जारी कर सकेगा,--

(i) मामले में तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करने के लिए ;

(ii) ऐसे कदम उठाना, जो विशेष न्यायाधीश ऐसे अनुरोधपत्र पर विनिर्दिष्ट करे ; और

(iii) ऐसे अनुरोधपत्र को जारी करने वाले विशेष न्यायाधीश को इस प्रकार लिए गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्य अग्रेषित करना ।

(2) अनुरोधपत्र, ऐसी रीति में, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पारेषित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या दस्तावेज या प्राप्त वस्तु को अन्वेषण के दौरान संगृहीत किया गया साक्ष्य समझा जाएगा ।

कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य को सहायता ।

9. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में अन्वेषण के लिए अनुरोध करते हुए तथा उससे संबंधित कोई साक्ष्य ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी को अग्रेषित करने के लिए कोई अनुरोधपत्र प्राप्त होता है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुरोधपत्र को विशेष न्यायाधीश या किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसरण में निष्पादन के लिए अग्रेषित कर सकेगी ।

अभियुक्तों के स्थानांतरण के लिए आदेशिका और सहायता हेतु पारस्परिक व्यवस्थाएं ।

10. (1) जहां विशेष न्यायालय, धारा 3 या धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में यह वांछा करता है कि--

(क) किसी अभियुक्त के लिए समन ; या

(ख) किसी अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी, वारंट ; या

(ग) किसी व्यक्ति को उससे हाजिर होने तथा कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने या स्वयं प्रस्तुत होने के लिए समन ; या

(घ) कोई तलाशी वारंट,

उसके द्वारा जारी किए गए किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उसकी तामील की जाए या उसे निष्पादित किया जाए, वह ऐसे समन और वारंट को ऐसे प्ररूप में दो प्रतियों में ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्राधिकारियों के माध्यम से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, भेजेगा और, यथास्थिति, वह

न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उनका निष्पादन कराएंगे ।

(2) जहां विशेष न्यायाधीश धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए--

(क) किसी अभियुक्त के लिए समन ; या

(ख) किसी अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी, वारंट ; या

(ग) किसी व्यक्ति को उससे हाजिर होने तथा कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने या स्वयं प्रस्तुत होने के लिए समन ; या

(घ) कोई तलाशी वारंट,

तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त करता है वह उनकी इस प्रकार तामील या निष्पादन करेगा, मानो वह उसकी स्थानीय अधिकारिताओं के भीतर तामील या निष्पादन के लिए उक्त राज्यक्षेत्रों में किसी अन्य न्यायालय से प्राप्त हुए समन या वारंट हों और जहां--

(i) गिरफ्तारी का कोई वारंट निष्पादित किया गया है, वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ; 1974 का 2

(ii) जहां किसी तलाशी वारंट का निष्पादन किया गया है, वहां तलाशी में पाई गई वस्तुओं के संबंध में यथासंभव दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी : 1974 का 2

परंतु उस दशा में, जहां संविदाकारी राज्य से प्राप्त किसी समन या तलाशी वारंट को निष्पादित किया गया है, तलाशी में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज या अन्य वस्तुएं या पाई गई वस्तुओं को तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से, जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) जहां उपधारा (2) के अनुसरण में संविदाकारी राज्य को स्थानांतरित व्यक्ति भारत में कैदी है, विशेष न्यायाधीश या केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो ऐसा न्यायालय या सरकार ठीक समझे ।

(4) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में भारत को स्थानांतरण व्यक्ति संविदाकारी राज्य में कैदी है वहां भारत में विशेष न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेगा कि भारत को स्थानांतरित कैदी जिन शर्तों के अधीन रहते हुए स्थानांतरित किया गया है उनका अनुपालन कर लिया गया है और ऐसा कैदी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार लिखित में निदेश दे, अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

अनुरोधपत्र की बाबत प्रक्रिया ।

11. केन्द्रीय सरकार द्वारा संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र समन या वारंट, और इस अध्याय के अधीन संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोधपत्र, समन या वारंट संविदाकारी राज्य को या, यथास्थिति, भारत में संबद्ध न्यायालय को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, भेजे जाएंगे ।

संविदाकारी राज्य या भारत में संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण और समपहरण आदि ।

12. (1) जहां संपत्ति का संविदाकारी राज्य में होना अनुमानित है, वहां विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी आवेदन पर संविदाकारी राज्य में संपत्ति की कुर्की या समपहरण के निष्पादन के लिए संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोधपत्र जारी कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी से उस संविदाकारी राज्य में धारा 3 या धारा 4 के अधीन किए गए किसी अपराध से किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में व्युत्पन्न या अभिप्राप्त संपत्ति की कुर्की या समपहरण के लिए अनुरोध करते हुए कोई अनुरोधपत्र प्राप्त होता है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुरोधपत्र को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में निष्पादन के लिए विशेष न्यायाधीश को अग्रेषित कर सकेगी ।

(3) विशेष न्यायाधीश, उपधारा (2) के अधीन किसी अनुरोधपत्र की प्राप्ति पर किसी प्राधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निदेश दे सकेगा ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे उपायों में, किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या लोक वित्तीय संस्था में की लेखा बहियों या किन्हीं अन्य सुसंगत विषयों की बाबत कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी है।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण, उपधारा (3) में वर्णित किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसे निदेशों के अनुसार किए जाएंगे, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी किए जाएं ।

2003 का 15
1988 का 49

इस अधिनियम के अधीन कुर्की के लिए दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध लागू होना ।

13. इस अधिनियम या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 29 द्वारा यथासंशोधित दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंध यथासाध्य इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और संपत्ति की कुर्की या समपहरण के निष्पादन आदेश को लागू होंगे ।

1988 के अधिनियम संख्यांक 49 के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

14. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंध (जिनके अंतर्गत उस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा अध्याय 4 के अधीन बैंककारों की लेखा बहियों के मामलों में अन्वेषण तथा निरीक्षण से संबंधित हैं), जहां तक, वे इस अधिनियम के अधीन अपराधों को लागू होते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधों को लागू होंगे ।

1950 का 45
1950 का 46
1957 का 62
1968 का 47
1978 का 30
1988 का 47

सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य विधियों का प्रभावित न करना ।

15. (1) इस अधिनियम की कोई बात सेना अधिनियम, 1950, वायुसेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 सीमा सुरक्षा बल, 1968, तटरक्षक बल, 1978 और राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को लागू प्रक्रिया या प्रयोक्तव्य अधिकारिता को प्रभावित नहीं करेगा ।

(2) संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट किसी ऐसी विधि के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सामान्य दांडिक न्यायालय समझा जाएगा ।

अपील और पुनरीक्षण

1974 का 2

16. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का, जहां तक वे लागू होते हैं इस प्रकार प्रयोग करेगा मानो उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाले सेशन न्यायालय का विशेष न्यायाधीश न्यायालय हो ।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना ।

17. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और इसमें अंतर्विष्ट कोई बात विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों को उनके विरुद्ध कार्यवाहियां संस्थित किए जाने से

जो इस अधिनियम के अतिरिक्त होगी छूट नहीं देगी ।

ऐसे विदेशी लोक पदधारी के विरुद्ध जिसको किसी विधि या कन्वेंशन या संधि के अधीन विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां लागू होती हैं, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां संविदाकारी राज्य के परामर्श से किया जाना ।

18. किसी विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारी की दशा में जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 या अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 या अंतरराष्ट्रीय विकास संगम (प्रास्थिति, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1960 या राजनयिक संबंध (वियना कन्वेंशन) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी कन्वेंशन या संधि के अधीन कतिपय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां लागू होती हैं, इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के लिए अभिकथित किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, संविदाकारी राज्य या अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन के परामर्श से ऐसे लोक पदधारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के पर्याप्त उपाय करेगी ।

1947 का 46
1958 का 42
1960 का 32
1972 का 43

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का कतिपय उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होना ।

19. इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 22 द्वारा यथासंशोधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में किसी कार्यवाही के बारे में प्रभाव होगा ।

1988 का 49
1974 का 2

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

20. (1) यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से चार वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।

21. इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां उसमें विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएंगी और ऐसे संशोधन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

(धारा 21 देखिए)

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)

धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में "इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम या विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण अधिनियम, 2011 के अधीन दंडनीय कोई अपराध" शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 3 का संशोधन

भाग 2

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15)

अनुसूची के भाग ख में पैरा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– अनुसूची का संशोधन।

"पैरा 5क

"विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण अधिनियम, 2011

धारा	**अपराध का वर्णन**
3	विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों को परितोषण स्वीकार करने के लिए प्रतिषेध
4	विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों द्वारा परितोषण देने के लिए प्रतिषेध
5	दुष्प्रेरण और प्रयत्न।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अंतरराष्ट्रीय कारबार में लाभ अभिप्राप्त करने के लिए लोक पदधारियों की रिश्वत, गंभीर नैतिक और राजनैतिक चिंताएं उत्पन्न करती है, अच्छे प्रशासन और पोषणीय आर्थिक विकास को जर्जरित करती है तथा प्रतियोगिता को विकृत करती है । कारबार संविदाएं देने में भ्रष्टाचार की ऐसी सामाजिक, राजनैतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे कोई भी राष्ट्र वहन नहीं कर सकता है । गंभीर परिणाम तब आते हैं, जब लोक पदधारी, लोक सेवाओं, जैसे सड़क, जल, विद्युत, आदि के लिए विदेशी कारबारों को संविदाएं देने में रिश्वत लेते हैं, जिसका परिणान अनुचित विनिश्चय होते हैं और विकास के लिए योजनाएं जर्जर होती हैं ।

2. संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2003 के संकल्प संख्यांक 58/4 के साथ उपाबद्ध रिश्वत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ कंवेंशन अंगीकृत किया गया था और तारीख 9 दिसम्बर, 2003 से 11 दिसम्बर, 2003 तक मेरीडा, मैक्सिको में आयोजित उच्च स्तरीय राजनैतिक हस्ताक्षर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए रखा गया था । भारत ने 9 दिसंबर, 2005 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे । कंवेंशन के अनुसमर्थन से विदेशी रिश्वत के कार्य को अपराध बनाना अपेक्षित होगा और इससे भारत की विद्यमान भ्रष्टाचार विधियां सुदृढ़ होंगी, उससे भारत के स्वःशासन की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी और यह रिश्वत और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उसके संघर्ष को और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करेगा ।

3. भारत में पहले से ही कतिपय विधियों, अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और धन-शोधण निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक ढांचा विद्यमान है, जिसके अंतर्गत ऐसे विभिन्न क्षेत्र आते हैं, जिनमें रिश्वत के अपराधीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की आवश्यकता है । कंवेंशन के अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे विधायी और अन्य उपाय अंगीकृत करे, जो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विदेशी लोक पदधारियों या अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन के पदधारी को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अस्तित्व को, जब अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिबद्ध हो, या उसके द्वारा असम्यक् लाभ देने या लेने को, दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हों । तथापि, उपर्युक्त उक्त अधिनियमों के अधीन अंतरराष्ट्रीय कारबार संव्यवहारों में विदेशी लोक पदधारियों की रिश्वत नहीं आती है । अतः, पूर्वोक्त कंवेंशन को प्रभावी बनाने के लिए एक विधान लाने की आवश्यकता महसूस की गई है ।

4. विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011, विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार निवारण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए है । प्रस्तावित विधान, अन्य बातों के साथ-साथ,--

(क) विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों द्वारा परितोषण स्वीकार करने का प्रतिषेध करता है और ऐसे कृत्य को, ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय करता है और जुर्माने के लिए भी दायी बनाता है ;

(ख) विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों को परितोषण देने के लिए प्रतिषेध करता है और ऐसे कृत्य को, ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय करता है और जुर्माने के लिए भी दायी बनाता है ;

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के दुष्प्रेरण और प्रयत्न को भी

ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय करता है और जुर्माने के लिए भी दायी बनाता है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए विदेशों के साथ करार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है ;

(ङ) प्रस्तावित विधान के अधीन अपराधों को प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में घोषित करने के लिए उपबंध करता है ;

(च) प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य को सहायता देने के लिए उपबंध करता है ;

(छ) अभियुक्तों के स्थानांतरण के लिए आदेशिका और सहायता हेतु पारस्परिक व्यवस्थाएं करने के लिए उपबंध करता है ;

(ज) संविदाकारी राज्य या भारत में संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण और समपहरण आदि के लिए उपबंध करता है ।

5. यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे विदेशी लोक पदधारी के विरुद्ध, जिसको किसी विधि या कन्वेंशन या संधि के अधीन विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां लागू होती हैं, प्रस्तावित विधान के अधीन कार्यवाहियां संविदाकारी राज्य के परामर्श से की जाएंगी ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
22 मार्च, 2011.

वी0 नारायणसामी

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 6 के उपखंड (1) की मद (ख) उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो, इस अधिनियम के अधीन या उस देश में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन किसी अपराध के निवारण या इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबधित मामलों के अन्वेषण के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत से बाहर किसी देश की सरकार के साथ किए गए करार के संबंध में किसी करार (जिनके अंतर्गत पारस्परिक विधिक सहायता भी है) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों । खंड 6 का उपखंड (2) केंद्रीय सरकार को ऐसी शर्तें, अपवाद या अर्हताएं विनिर्दिष्ट करने के लिए समर्थ बनाता है, जिनके अधीन पारस्परिक ठहरावों को प्रभावी बनाया जाएगा ।

2. खंड 10 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को, अधिसूचना द्वारा, समन या वारंट का प्ररूप और प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है, जिसके माध्यम से ऐसे समन या वारंट किसी संविदाकारी राज्य को उसकी तामील या निष्पादन के लिए भेजे जाएंगे ।

3. खंड 11 केंद्रीय सरकार को, अधिसूचना द्वारा, वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट, और संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट भारत में संबद्ध न्यायालय में भेजा जाएगा ।

4. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना जारी की जा सकेगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 49) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 2

विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति

3. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए जो आवश्यक हों अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अर्थात् :— विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति।

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध ; और

* * * * * *

GMGIPMRND—7455LS(CRC)—23-03-2011.